प्रा.सं. - 30-21

कैलाश गौड़ | | कमला गौड़

वादी पक्ष को सुना गया। पत्रावली के विश्श्लेषण उपरान्त न्यायालय यह उचित समझता है कि वादी पक्ष स्वयं की मांग पर मुकदमें को आगे चलाया जाना न्यायोचित नही है।

अतः वादी के वादपत्र को इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की स्वीकृति के साथ आवश्यक होने पर दावा दुबारा प्रस्तुतिकरण की भी अनुमति भी न्यायालय प्रदत्त करता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।